जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 11 मासिक नई दिल्ली जुलाई 2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

राष्ट्र को एक और अगस्त क्रान्ति की आवश्यकता

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

8 अगस्त 1942 को अखिल हिन्द कांग्रेस कमिटी के बम्बई अधिवेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि इस प्रकार था, "....... यह न्यायोचित नहीं होगा कि देश साम्राज्यवादी अधिनायकवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा स्पष्ट न करे .... कमिटी प्रस्तावित करती है ..... वृहद् स्तर पर अहिंसात्मक तौर पर जन-संघर्ष की शुरूआत की जाये।"

अखिल हिन्द कांग्रेस कमिटी की बैठक 8 अगस्त 1942 की रात संपन्न होने के कुछ घंटें बाद ही महात्मा गाँधी समेत कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार हो गये। जनता की प्रतिक्रिया त्वरित और स्वाभाविक थी, चारों तरफ हड़ताल, धरना प्रदर्शन होने लगा, अकेले दिल्ली में पुलिस को कई जगहों पर दमनकारी कदम उठाने पड़े। 11 और 12 अगस्त को 47 स्थानों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिनमें 76 लोग मारे गये। कर्नाटक के सतारा में ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ किसानों ने भूमिगत गोरिल्ला युद्ध सन् 1944 तक चलाया। क्रान्तिकारी हिंसा ब्रिटिश भारत के अनेक स्थानों पर व्यापक रूप से देखा गया, बल्कि यह विरोध अन्य सुदूर राज्यों में भी देखा गया। इस विद्रोह का नेतृत्व छात्रों, श्रमिकों और किसानों ने किया। पुलिस थाना, डाकघर और रेलवे स्टेशनों को लोगों ने ब्रिटिश अधिपत्य का प्रतीक माना और इन पर आक्रमण कर आग लगा दिया।

सरकार ने तुरन्त दमनकारी रवैया अपनाया और आतंक का एक दौर शुरू हो गया। ऐसी बहुत घटनायें हुई जिनमें निहत्थे जन समुदाय पर गोली बारी हुई। यह विद्रोह छोटा अवश्य था परन्तु इसके तेवर बहुत ऊँचे थे। सरकार विद्रोह को दबाने में सफल रही, परन्तु तब तक एक हजार से अधिक लोग, विभिन्न राज्यों में हुई हिंसा में अपनी जान गवां चुके थे।

यद्यपि यह विद्रोह असफल परन्तु दो उपलब्धियों के लिये महत्त्वपूर्ण था। पहला तथ्य यह था कि इस विद्रोह के जरिये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता की नाराजगी को अभिव्यक्ति मिली और अब वह बहुत जल्दी अपनी आजादी की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है। दूसरा तथ्य यह रहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हुकूमत के दिन अब गिनती के है। अगस्त 1942 के इस विरोधात्मक उभार के बाद यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि भारत से अंग्रेजों का जाना निश्चित है, अब यह केवल समय का प्रश्न रहा गया।

अब राष्ट्र को एक और अगस्त क्रान्ति की जरूरत है, जो अपने स्वरूप में पूरी तरीके से 1942 जैसी भले ही न हो, परन्तु लक्ष्य में उस जैसी ही हो। उस अगस्त क्रान्ति में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध मजबूत संघर्ष की दृढ़ इच्छा मुख्य लक्ष्य था, वहीं उस दौर की तुलना में आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने की के लिये अधिक ऊर्जावान इच्छा शक्ति की जरूरत है। ब्रिटिश दासता के दिनों की तुलना में इस तथाकथित आजादी दौर में साम्राज्यवाद का दमनकारी रूप और अधिक व्यापक और नृशंस हो चुका है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो इस साम्राज्यवादी दमन का शिकार न हो।

आज जरूरत है कि नव-साम्राज्यवाद के चंगुल से राष्ट्र को आजाद कराया जाये। देश की गरीब जनता का शोषण अभी भी जारी है। सही मायने में हम आजाद नहीं है। सन् 1947 में हमने सच्ची आजादी नहीं प्राप्त की थी, बलिक वह तो सत्ता का हस्तानांतरण था। हमारे देश की जनता की नियति और भाग्य उनके द्वारा तय नहीं हुआ, जो लोग "हम भारत के लोग ......" कहने वाले थे, बल्कि भारतीयों का भाग्य अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी मुल्कों ने तय किया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने एक ऐसे आजाद भारत का सपना देखा था जो शोषण विहीन होगा। शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के पतन के लिये अपनी कुर्बानी दी, परन्तु दुर्भाग्यवश साम्राज्यवाद आज भी जिन्दा है। अगस्त क्रान्ति या देश की आजादी के संघर्ष के विभिन्न दौरों में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि साम्राज्यवाद के पूर्ण खात्मे के लिये एक और अगस्त क्रान्ति का निर्माण किया जाये। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि शहीदों के तन से गिरा हुआ खून आने वाले क्रान्ति के बीज स्वरूप समाये रहते हैं। इस तरह साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की कीमत चुकाने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमें इस महान युद्ध के लिये स्वयं को तैयार कर नेताजी के इन शब्दों को याद करना चाहिये : "....... जब भारत में आजादी चाहने वाले भारतीयों का रक्त बहेगा, तब भारत आजाद होगा।"

कोलकाता में अग्रगामी महिला समिति की बैठक

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की केन्द्रीय कमिटी की बैठक 2 जुलाई 2010 को आईसीमार्ड भवन, उल्टाडंगा, कोलकाता में हुई। विभिन्न राज्यों से 15 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। जिसमें फारवर्ड ब्लॉक के केन्द्रीय सचिव मण्डल के सदस्य भी उपस्थित थे।

बैठक में सांगठनिक मुद्दों के अलावा अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की 4-6 दिसम्बर 2010 में होने वाली राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के विषय पर भी चर्चा हुई।

सम्मेलन को सफल बनाने के लिये विभिन्न कार्य निर्धारित किये गये:

1. अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति पार्टी की राज्य कमिटी की सहायता से राज्य सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2010 माह तक करेगी, जिसमें महिला समिति तथा फारवर्ड ब्लॉक के पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे।
2. सदस्यता अभियान 31 अगस्त 2010 तक चलाया जायेगा। सदस्यता अभियान के समय संगठित व असंगठित क्षेत्र (बिड़ी श्रमिक, चाय बागान मजदूर, जरी कार्यों में लिप्त महिलायें, खेत मजदूर आदि) में कार्य करने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखत महिला नेत्री विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगी:

आसाम : साथी डॉली रॉय एवं साथी निलीमा गुहा; **त्रिपुरा :** साथी डॉली रॉय एवं साथी निलीमा गुहा; **झारखण्ड:** साथी पूर्णिमा बिश्वास एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता; **उड़ीसा :** साथी डॉली रॉय ; कर्नाटक: साथी भितीका मण्डल एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता; **तमिलनाडु:** साथी श्री कुमार अम्मा एवं साथी शेरली संतोष ; **बिहार:** साथी पूर्णिमा बिश्वास, साथी अपर्णा बिश्वास एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता; **केरल:** साथी श्रीकुमारी अम्मा; **महाराष्ट्र:** साथी भितिका मण्डल एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता; **दिल्ली:** साथी सोफिया सुल्ताना एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता ; **उत्तराखण्ड :** साथी सोफिया सुल्ताना, साथी अपर्णा सेनगुप्ता एवं साथी शशी अग्निहोत्री ; **मध्य प्रदेश :** साथी पूर्णिमा बिश्वास एवं साथी अपर्णा सेनगुप्ता।

जब रेल यात्रा सुरक्षित नहीं - क्या रेलमंत्री जिम्मेदारी से बच सकती है?

अब रेल यात्रियों के लिये यह एक दु:खद स्वप्न बन गया है कि क्या वे अपने लक्ष्य तक सुरक्षित पहुँच सकते हैं, विगत 10 महीनों में 16 रेल दुर्घटनाओं में 259 लोग मारे गये, जिनमें से दो घटनायें पश्चिम बंगाल में हुई, और इन दोनों ही घटनायें इतनी भयानक थी कि 213 यात्रि मारे गये तथा हजारों घायल हुये। यदि छोटी-छोटी दुर्घटनाओं को गिने तो मई 2009 के बाद 162 दुर्घटनायें हो चुकी है, जिनमें 428 लोग मारे जा चुके हे, जहाँ तक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति और भयावहता का प्रश्न है वर्तमान रेलमंत्री ने अपने पूववर्ती मंत्रियों के आंकड़ों को पार कर लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि रेलमंत्री ममता बैनर्जी रेल दुर्घटनाओं के वास्तविक तकनिकी या मानवीय भूलों जैसी तहकीकात न कर आरोप लगाती है कि इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हो इसके लिये सतर्क नहीं होती है। जब 28 मई 2010 को जनेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना में 146 यात्रि मारे गये तो शक की सूई माओवादियों के तरफ थी, सीबीआई जाँच शुरू हुई और हमें सत्य मालूम होगा ऐसी उम्मीद बँधी, परन्तु अपराह्न 2 से 3 बजे के बीच 19 जुलाई 2010 को सेंथिया स्टेशन (जिला बिरभूम, पश्चिम बंगाल) पर घटी हाल की दुर्घटना से स्पष्ट हो गया कि कम से कम माओवादियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रेलमंत्री के साथ कांग्रेस जैसी राजनैतिक पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इन घटनाओं के पीछे वाम मोर्चे को दोषी ठहराते है। जबकि तथ्य यह था कि तेजी से आती हुई उत्तर बंग एक्सप्रेस सेंथिया स्टेशन पर तुरंत ही रवाना होने वाली वनांचल एक्सप्रेस से जोरदार तरीके से टकराई। यह टक्कर बहुत जोरदार थी, क्योंकि वनांचल एक्सप्रेस का एक डिब्बा पैदल यात्रियों के पूल से जा टकराया। विशेषज्ञों की राय के अनुसार, "रेलवे में सुरक्षा की यह मूलभूत प्रक्रिया है की जब एक पटरी व्यस्त हो तो सिग्नल प्रणाली दूसरी ट्रेन को आने की अनुमति नहीं दे सकती।" इस तरह संभावित कारणों में से एक कारण ऐसा लगता है कि उत्तरबंग एक्सप्रेस के चालक, जो इस दुर्घटना में मारा गया, के साथ-साथ कम से कम 67 लोग मारे गये उसमें सिग्नल की अवहेलना की या सिग्नल फेल था। प्रश्न यह उठता है कि अपनी जान की कीमत पर चालक ने सिग्नल प्रणाली की अवहेलना क्यों की ?अब तकनीकी खराबी और आधुनिकीकरण के अभाव और रेल पटरियों के रख-रखाव, कार्य प्रणाली पर उंगली उठती है। पूरे देश में यह प्रश्न गूंज रहा है कि क्या रेलमंत्री रेलवे के रख-रखाव और आधुनिकीकरण के महत्त्वपूर्ण कार्य से बचने का बहाना ढूंढ सकती है ?हाल की एक चौंकाने वाली जानकारी के अनुसार पता चला है कि रेलवे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कैग) की अनुशंसा, जो एक वर्ष पहले, सिग्नल और संचार प्रणाली की कमियों के ऊपर कारपोरेट सेफ्टी प्लान के तहत आई थी, कि रेल विभाग ने खुली अवहेलना किया। यदि रेल विभाग ने इन तथ्यों पर सुधारात्मक संभव कदम उठाये होते तो सेंथिया में घटी दुर्घटना नहीं हुई होती। वर्तमान रेलमंत्री की नियत रेलवे की राजनीति के जरिये पश्चिम बंगाल में सत्ता प्राप्त करने से है। अपने इस स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य के लिये वे रेलवे के करोड़ों रुपयों को अंधाधूंध नई रेल पटरियाँ बिछाकर और विज्ञापन द्वारा ढिंढोरा पीटकर बर्बाद कर रही हैं। जबकि रेलवे की मौलिक जरूरतों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है।

दौड़ती हुई ट्रेन के इंजन से अलग हो गए डिब्बों की घटना, जन (कर्मचारी) विहीन क्रासिंग पर होने वाली घटना, राजधानी जैसी प्रतिष्ठित ट्रेन के डिब्बों के पटरी से उतरने की घटना, दूरन्तो जैसी ट्रेन में यात्रियों को सड़ा गला भोजन देने की घटना, अप्रत्याशित रूप और अनियमित रूप से ट्रेनों के देर से चलने वाली घटनाओं की अनेक रिपोर्ट आती रहती हैं। उपर्युक्त सभी तथ्य रेलवे प्रशासन की पूर्ण विफला को दर्शाता है। इसे हम रेलवे में व्याप्त प्रचूर भ्रष्टाचार की संज्ञा दे सकते हैं। सुश्री बैनर्जी ने अपने साथ जुड़े लोगों को अन्य सुविधाओं से संपन्न 50,000 रुपये मासिक के लाभकारी पदों पर नियुक्त किया जै जो यात्रियों को आम सुविधाओं का ख्याल रखेगा। महाराष्ट्र क्षेत्र में उनके द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपये के भर्ती के घोटाले में पकड़ा गया है। जबकि रख-रखाव से संबंधित विभाग में भारी मात्रा में पद खाली पड़े हैं।

असफल रेलयायियों की दुर्घटना में हुई मौतों के संदर्भ में अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधान सभा के अधिकांश सदसयों (विधायकों) द्वारा रेलमंत्री से त्यागपत्र मांगा जाना सर्वथा उचित है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी गठजोड़ की सरकार चलाने की मजबूरी के तहत इस असफल अयोग्य रेल मंत्री को ढोते हैं और इन तमाम घटनाओं पर संवेदनहीन बनकर आँखें और कान मूंद लेते हैं तो वे भी उसी अनुपात में दोषी ठहराए जाने चाहिये जिस अनुपात में रेलमंत्री।

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा 9 अगस्त से किसानों की समस्या पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगा

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की केन्द्रीय कमिटी की बैठक दिनांक 2 जुलाई को कोलकाता में हुई। सभा में केन्द्रीय कमिटी ने निचली कमिटियों से निम्न कार्यों पर अधिक जोर देने का आह्वान किया:

(क) सदस्यों का नामांकन ;

(ख) सम्मेलन के कार्यक्रम की पूरी तैयार करना।

(ग) पिछली केन्द्रीय कमिटी की सभा में निर्धारित दस मुद्दों पर आन्दोलनात्मक कार्य करना।

अगस्त क्रान्ति दिवस : इस 9 अगस्त अग्रगामी किसान सभा ऐतिहास अगस्त क्रान्ति दिवस मनायेगा, जिसमें आजादी के 63 वर्ष बाद भी किसानों की समस्याओं एवं उनके दु:खों को नुक्कड़ सभाओं द्वारा, ब्लॉक से जिला मुख्यालयों तक उचित विज्ञापन के जरिये उजागर किया जायेगा।

अग्रगामी किसान सभा "किसान बचाओ - देश बचाओ) नारे का बुलंद तरीके से प्रचार करेगा।

अग्रगामी महिला समिति की राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी जोरों पर

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की कोलकाता में 4-6 दिसम्बर 2010 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। 2 जुलाई की केन्द्रीय कमिटी की बैठक के बाद 23 जुलाई को राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों की प्रारंभिक बैठक हुई। बैठक में चर्चा के उपरान्त सांगठनिक कमिटी तैयार की गयी जिसकी अध्यक्षता साथी अपराजिा गोप्पी एवं महासचिव साथी अपर्णा सेनगुप्ता चयनित हुई। इसके अलावा कमिटी में अन्य सदस्यों में साथी प्रो. शिखा सेनगुप्ता, साथी डॉली रॉय, साथी निलिमा गुहा, साथी पुर्णिमा विश्वास, साथी भितिका मण्डल, साथी श्रीकुमारी अम्मा, साथी शेरली संतोष, साथी सोफिया सुल्ताना एवं साथी शशि अग्निहोत्री है।

अग्रगामी महिला समिति ने अपनी पिछली बैठक 2 जुलाई के कार्य निष्पादन आरम्भ कर दिया है। निचले स्तर से सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से संगठित तथा असंगठत क्षेत्र की महिला कामगारों जैसे खेत-खलिहानों, जंगल वासियों, कार्यालयों, अस्पताल, शिक्षा क्षेत्र, ईट भट्टा आदि में कार्यरत महिलाओं में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।

अग्रगामी महिला समिति महिलाओं से उनके अधिकार और मर्यादा की लड़ाई, राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक, प्रशासनिक अधिकार आदि के लिये संघर्ष का आह्वान कर रहा है। जिसके लिये अगस्त और सितम्बर माह में ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिये अग्रगामी महिला समिति त्वरित कार्यवाही हेतु अभियान चलायेगा।

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की पश्चिम बंगाल में 4 दिसम्बर को राष्ट्रीय सम्मेलन के खुला अधिवेशन में लगभग 25-30 हजार महिलाओं को संगठित करके एकत्रित किया जायेगा। प्रतिनिधि सम्मेलन कोलकाता के नजदीक साल्ट लेक स्टेडियम में होगा, जिसमें 400 प्रतिनिधियों के ठहरने, खान-पान की व्यवस्था के लिये संचालन कमिटी कार्य कर रही है।

प्रतिनिधी सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में देश-विदेश की महिला नैत्री को आमन्त्रित किया जायेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन तक अग्रगामी महिला समिति की स्वागत समिति का और केन्द्रीय कमिटी का कार्यालय हेतु 49-सी, चित्तरंजन एवेन्यु, हेमन्ता बसु भवन, कोलकाता में कैम्प लगाया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये दिल्ली कार्यालय के अलावा कैम्प कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिये आर्थिक सहायता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसके लिये कूपन और रसीद के माध्यम से फण्ड एकत्रित किया जायेगा।

अग्रगामी महिला समिति का हर प्रान्त में सम्मेलन की तैयारी चल रही है, जिसमें केन्द्रीय महिला नेत्र भी उपस्थित रहेंगी। पश्चिम बंगाल प्रान्तीय

कमिटी हर जिला में कार्यक्रम के लिए विस्तृत तैयारी कर रहा हैं, जिसका जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है: दक्षिण 24 परगना – जिला सम्मेलन 24 जुलाई – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी निलीमा गुहा एवं साथी शशी अग्निहोत्री ; पश्चिम मेदिनी पुर – जिला सम्मेलन 30 जुलाई – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी श्यामली चक्रवर्ती एवं साथी प्रतिभा दे ; हावड़ा जिला सम्मेलन 31 जुलाई – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी अपर्णा विश्वास एवं साथी हेमा चक्रवर्ती ; कोलकाता जिला सम्मेलन 31 जुलाई – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी अपराजि गोप्पी एवं साथी शिखा सेनगुप्ता ; पूर्व मेदिनीपुर जिला सम्मेलन 1 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी अपर्णा विश्वास एवं साथी शशी अग्निहोत्री ; बांकुड़ा जिला सम्मेलन 1 अगस्त– उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी पूर्णिमा विश्वास एवं साथी डॉली रॉय ; पुरूलिया जिला सम्मेलन 1 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी साथी नीलिमा गुहा एवं साथी उमा बसाक ; उत्तर 24 परगना जिला सम्मेलन 7 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी शिखा सेनगुप्ता एवं साथी आसमा खातून ; बीरभूम जिला सम्मेलन 7 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी पूर्णिमा बिश्वास एवं साथी डॉली रॉय ; मालदा जिला सम्मेलन 7 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी नीलिमा गुहा एवं साथी भितिका मण्डल ; हुगली जिला सम्मेलन 7 जुलाई को संपन्न ; मुर्शीदाबाद जिला सम्मेलन 8 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी पूर्णिमा बिश्वास एवं साथी डॉली रॉय ; दक्षिण दिनाजपुर जिला सम्मेलन 8 अगस्त – उपस्थित केन्द्रीय नेत्री साथी साथी नीलिमा गुहा एवं साथी भितिका मण्डल।

उपर्युक्त बैठक में फारवर्ड ब्लॉक महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास, सचिव साथी अशोक घोष एवं साथी नरेन दे भी महिला समिति को पूर्ण सहायता प्रदान के लिये उपस्थित थे।

जल–जंगल–जमीन के अधिकार के लिये निर्णायक संघर्ष की आवश्यकता

● डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद●

गरीबों और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार बुनियादी मौलिक अधिकार है। लेकिन वे पारंपरिक रूप से इससे वंचित है और वे मुट्ठीभर संपन्न वर्ग द्वारा अपने इस विशेषाधिकार के प्रति शोषित हो रहे हैं। हाल ही में, अंधाधुँध और अवैध खनन के कारण यह क्षति और शोषण अपने चरम पर पहुँच गया है और जाहिर है, यह सभी व्यापारिक घरानों और राजनीतिक गठजोड़ के माध्यम से हो रहा है। इस अवैध कृत्य से स्थानीय गरीब लोगों, जनजातियों और वनजीवियों की आजीविका को गहरी चोट पहुँच रही है साथ ही पर्यावरण को भी अपूर्णनीय क्षति हो रही है। मीडिया में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1.64 लाख हैक्टेयर वन भूमि को खनन के क्षेत्र में बदल दिया गया है। मूलत: कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्कों को निशाना बनाया गया है, जो उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में फैली वनों में उपलब्ध है। एक अनुमान के द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2005–06 में केवल लौह अयस्क के खनन में 770 लाख टन जल का प्रयोग हुआ, जो 30 लाख लोगों के प्रतिदिन उपयोग में आने वाले जल की मात्रा के बराबर है। वन जीवियों को बलपूर्वक खदेड़ा जा रहा है, जिनमें से 25 प्रतिशत को भी पुनर्वास जैसी सुविधा नहीं मिल रही है और कीमती जल संशाधनों को लालची कारपोरेट घरानों, जिनमें विदेशी निवेशक भी शामिल है, को संतुष्ट करने में बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस तरह विशाल भू–भाग भी नष्ट हो रहा है। अब तो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की छत्र छाया में पल रहे स्वार्थी कारपोरेट घरानों और गरीब वन जीवियों के बीच युद्ध छिड़ जाने की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आवश्यकता है कि शोषित इन असहाय लोगों को एकजुट कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सभी मोर्चो से युद्ध छेड़ दिया जाये।

यह बात अवश्यक ध्यान रखनी चाहिये कि इस अवैध खनन के दो विचारणीय पक्ष है– पहला, इससे पर्यावरण का विनाश हो रहा है, वहीं दूसरा भारी मात्रा में गरीब लोगों का विस्थापन हो रहा है। अवैध खनन करने वालों के कारण होने वाले क्षतिपूर्ति पर कोई ध्यान न देकर स्वार्थी कारपोरेट घराने और भ्रष्ट राजनेता भारी मुनाफा बनाने में लगे हुये है। कर्नाटक की भाजपा सरकार अपने दो मंत्रियों (रेड्डी बंधुओं) के बैलुर जिला में लौह अयस्क खनन में लिप्त होने के कारण विवाद गहराया हुआ है। राज्य के महामहिम राज्यपाल भारद्वाज ने रेड्डी बंधुओं के इस भ्रष्टाचार की खुली आलोचना किया और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने के लिये कहा, परन्तु राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष राष्ट्रीय नेता भ्रष्ट रेड्डी बंधुओं को बचाने में लगे है जो रेड्डी बंधुओं को सोने (कंचन) की तरह शुद्ध घोषित कर रहे हैं। इस घटना का पूरे पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

इसी तरह का एक मामला उड़ीसा में पोस्को स्टील प्लांट के प्रस्तावित होने में आया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित मानदण्डों को दरकिनार कर सरकार ने पोस्को को खनन का लाईसैंस प्रदान कर दिया। एक झटके में उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2010 को पारादीप में 51,000 करोड़ के प्रस्तावित पोस्को स्टील प्लांट को दरकिनार कर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनि को प्रस्तावित 2500 हैक्टेयर सुंदरगढ़ जिले के खंदधार में लौह अयस्क के खनन का लाईसैंस प्रदान कर दिया। हमलोग इस प्रकरण में अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं साथ ही जनता भीतर उफने विरोध के स्वर को भी देख रहे हैं जो बाँध के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के आन्दोलन से जुड़ा है। विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात आदि में बाहर से विस्थापित लोगों के पुनर्वास का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है।

अवैध खनन के अन्य घोटाले भी सामने आ चुके है। झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा 4300 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार हुये थे। उड़ीसा

में कार्य करने वाले वेदेन्ता ग्रुप का और मामला सामने आया है। हाल के एक अध्ययन के द्वारा लांजीगढ़ एलुमिना रिफायनरी का निर्माण और बगल में स्थित नियामगिरी पहाड़ियों पर प्रस्तावित खनन कार्य में राज्य और केन्द्र सरकारें दोनों ने खनन और रिफायनरी के निर्माण से प्रभावित डोंगरिया कोंड और अन्य समुदायों के मानवाधिकार का खुला उल्लंघन किया है। कांग्रेस शासित आन्ध्र प्रदेश के विशाखा एजेंसी क्षेत्र में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन से ढालूदार धान के सीढ़ीनुमा खेतों को पूरी तरह नष्ट होने वाला है, जिससे वहाँ के जनजातियों की आजीविका नष्ट हो जायेगी। एक आकलन के अनुसार देश में 8700 वैध खदान और 15000 अवैध खदान पूरे देश में फैली हुई है। जो सबसे खतरनाक पक्ष इस अवैध खनन के द्वारा सामने आ रहा है वह यही है कि गरीब जनजातियों की आजीविका तो नष्ट हो रही है, साथ ही साथ माओवादियों को इन प्रभावित क्षेत्रों में पनपने का कारण मिल रहा है। एक विशेषज्ञ के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के खनिज सम्पदा से भरे 60 प्रतिशत भाग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा बना हुआ है।

आने वाले प्रस्तावित खदान और खनिज विधेयक 2010 के निर्माण के समय उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, मूल बात तो यह है कि प्राकृतिक संशाधनों पर स्थापनीय जनता के अधिकार को स्वीकार करना होगा और हरे-भरे खेतों के विनाश को रोकना होगा तथा साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास के लिये व्यापक सहयोग के कार्यक्रम को सुनिश्चित करना होगा। हमें जनजातियों और पारंपरिक वनजीवियों को जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिये निरंतर संघर्ष करना होगा।

बढ़ती बेकारी और नरेगा

● जयंत वर्मा ●

भारत के संविधान में शासन के मूलभूत तत्वों के तहत राज्य को यह निर्देश है कि वह अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करे कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 41 में यह निर्देश है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

हमारा देश मूलत: कृषि प्रधान था तथा अधिकांश जनता खेती किसानी से इज्जत की जिंदगी गुजारती थी। 1925 में एक तोला सोना तथा ढाई मन गेहूँ के दाम लगभग बराबर थे। वर्तमान में 1 तोला सोना लगभग 18,500 रु० का तथा ढाई मन गेहूँ 1300 रुपये का है। 1925 में खेती पूर्णत: स्वावलंबी थी और कीमत का लगभग पूरा हिस्सा किसान के पास श्रम मूल के रूप में रहता था। आज खेती में बाजार की घुसपैठ के कारण कीमत का 80 प्रतिशत लागत में निकल जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, बिजली, डीजल और भाड़ा आदि। अनाज के दाम सरकार तय करती है तथा उसे निरंतर घटाते हुए इतना कर दिया गया है कि अब भारत में किसान को औसतन 17 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में बचता है। खेती घाटे का सौदा बना दी गयी है। इसके चलते 40 फीसदी किसान खेती छोड़कर अन्य धंधा करने या दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने गांव से शहर की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों ने समाज में गरीबी और अमीरी के बीच खाई को बढ़ा दिया है।

अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश के 83 करोड़ लोग 20/- रुपये प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन करने वाले ग्रामवासियों के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। इस योजना का 90 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है तथा 10 फीसदी राज्यांश होता है। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए 40,100 कराड़ रुपये आबंटित किए हैं। राज्यांश मिलाकर योजना पर कुल 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के तहत 60 प्रतिशत मजदूरी तथा 40 प्रतिशत सामग्री व्यय है। भारत में यदि सभी जिलों में योजना के तहत शत्-प्रतिशत ईमानदारी से काम हुआ तो रोजगार मांगने वाले लोगों को 100/- रुपये प्रतिदिन के अनुसार 26,400 करोड़ रुपये मजदूरी बंटेगी। यह धनराशि यदि 20 रुपये प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा करने वाले 83 करोड़ भारतवासियों में बांटी जाये तो 308 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष मिलेगा। अथवा 84 पैसा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन।

छठवें वेतन आयोग की सिफारिश है कि वर्तमान समय में इज्जत से जीने के लिए एक परिवार की मासिक आय कम से कम दस हजार रुपये होनी चाहिये। मनरेगा के तहत 5 लोगों के परिवार को प्रतिमाह 126 रुपये मिलेगा यदि सभी उन 83 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किया जाये तो 20/- रुपये प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा कर रहे हैं।

सरकार की अर्थनीति देश में गैर-बराबरी को बढ़ा रही है। जल-जंगल और जमीन के जिन संसाधनों से भारत की ग्रामीण आबादी की आजीविका चलती है उसे समृद्ध बनाने की बजाय उससे छीनकर कारपोरेट घरानों के सौंपने का जो सिलसिला सरकार ने चलाया है उसके चलते असंख्य लोगों के हाथ से उनकी आजीविका के साधन रोज छीन रहे हैं। संविधान की कसौटी पर सरकार की यह नीति असंवैधानिक है। रोजी-रोटी से मरहूम होती आबादी में आक्रोश बढ़ रहा है और वह राज्य को अपना शत्रु मानने लगती है। इस दशा में राज्य के विरुद्ध विद्रोह का डंका बजा चुके उग्रवादी विचारधारा के अनुयायियों की शरण में जाना उनके लिए स्वाभाविक रुझान का विषय बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी आबादी पर नियंत्रण नहीं कर सकती जो राज्य को अपना हितैषी मानने की बजाय अपना विरोधी मानती हो। देश में तेजी से फैल रहे उग्रवादी आंदोलनों की इस वजह को समझना मध्यवर्गीय वेतनभोगी वर्ग के लए आसान नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में उन्होंने अपने लिए सुरक्षित स्थान बना लिया है। जल, जंगल और जमीन पर निर्भरता नहीं होने के कारण ग्रामीण

जीवन की वास्तविकताओं से अनजान यह वर्ग व्यवस्था के संचालन में लगा है।

नौकरशाही तथा विधायिका में भारत के ग्रामीण, मजदूर और आदिवासियों, निर्धन, असहाय लोगों के प्रति बढ़ती संवेदनहीनता के कारण देश में अशांति का वातावरण बन रहा है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता किन्तु संविधान को सामाजिक सरोकार के साथ समझकर तद्नुसान काम करने वाले लोग अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं।

खाद्य-सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन

1 जुलाई 2010 को मावलंकर हॉल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में चारों वामपंथी पार्टियों सीपीआई(एम), सीपीआई, फारवर्ड ब्लॉक एवं आरएसपी ने संयुक्त रूप से खाद्य-सुरक्षा, महँगाई एवं बेरोजगरी के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को मुख्य रूप से साथी प्रकाश करात, साथी ए.बी. वर्द्धन, साथी देवब्रत बिश्वास और साथी टी.जे. चन्द्रचूड़न ने किया। इसके अलावा प्रश्ख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. जयती घोष और वरिष्ठ पत्रकार श्री पी. साईनाथ ने अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन के सभापति मंडल में साथी वृंदा करात, साथी एस. सुधाकर रेड्डी और साथी जी. देवराजन थे।

सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये-

हम इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं-

कि गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, चीनी, दालों और सब्जियों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने ऐसे समय में जनता के बड़े हिस्सों के बीच बदहाली को और तीव्र किया है, जब वैश्विक रिपोर्ट यह दिखला रही हैं कि भारत में कुपोषित नागरिकों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है; कम वजन वाले बच्चों, खून की कमी से पीड़ित महिलाओं और भूख के शिकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। वैश्विक भूख सूचकांक में 88 देशों क बीच भारत की स्थिति 66वें स्थान पर है।

हम उस फैसले की कड़ी भर्त्सना करते हैं

जिसके तहत केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल तक जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं जिसके कारण महँगाई और बढ़ेगी। यह फैसला खाद्य पदार्थों के लगातार बढ़ते दामों से त्रस्त आम जनता के प्रति सरकार की लापरवाही और अहंकार को दर्शाता है।

यह कन्वेंशन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ 5 जुलाई के भारत बंद का समर्थन करती है और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के सभी तबकों से अपील करती है कि सरकार को उसके जनविरोधी फैसले को वापस करने के लिए मजबूर करें।

हम मानते हैं

कि केन्द्र सरकार की नीतियाँ मूल्य वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं और राज्य सरकारों पर इसका दोष मढ़ कर केन्द्र सरकार दरअसल कीमतों को नियंत्रित करने और अपनी गलत नीतियों को वापस लेने में अपनी असफलता को ढकना चाहती है।

इन गलत नीतियों में शामिल हैं:

(1) जन वितरण प्रणाली को जानबूझ कर कमजोर करना और उसके चलते ऊँचे बाजार-दामों के खिलाफ एक प्रतिरोधी दबाव के रूप में काम करने की जन वितरण प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका का क्षरण। यह नीति उपभोक्ताओं को बाजार पर निर्भर करने और इस तरह करोड़ों लोगों को मुनाफाखोरों और कालाबाजारियों की कृपा रा छोड़ देने के लिए ही गढ़ी गई है।

(2) राज्यों को अनाजों का यह आवंटन दुबारा शुरू करने से सरकार का इंकार, जो कि पिछले पांच सालों में औसतन 73 फीसदी घटा दिया गया है और केरल जैसे कुछ राज्यों के हिस्से की कटौती 80 फीसद से ऊपर है। यह तब है जबकि केन्द्र सरकार के पास 6 करोड़ टन का एक विराट बफर स्टॉक है। सरकार ने निहायत अनुचित निर्णय करते हुए राज्यों को मात्र 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न देना तय किया है जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर की कीमतों की तुलना में चावल की कीमत 42.7 प्रतिशत अधिक तथा गेहूँ की 38.52 प्रतिशत अधिक रखी गयी है। यह सुनिश्चित करने की बजाय कि खाद्यान्न खरीदने लायक कीमतों पर वितरित किये जाएं, सरकार को यह मंजूर है कि वे खुले में नष्ट हों या चूहों का आहान बनें।

(3) गेहूँ, खाद्य तेलों, यहाँ तक कि आलू जैसी सब्जियों समेत सभी आवश्यक उपभोकता सामग्रियो में वायदा कारोबार को मंजूरी देना। उपभोक्ता वस्तु विनिमय में तेजी से बढ़ता वायदा कारोबार नंगी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता हुआ मौजूदा कीमतों में भी उछाल ला देता है, इसके बावजूद सरकार ने आवश्यक खाद्य सामग्रियों में वायदा कारोबार को प्रतिबंधित करने से इंकार कर दिया है।

(4) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जिसका दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पर भी एक वृद्धिकारी प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों और डीजल पर केन्द्र सरकार को बढ़ी मात्रा में टैक्स इन वस्तुओं की मोजूदा कीमत संरचना का अच्छा-खासा हिस्सा है, जिससे केन्द्र सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है जबकि जनता बढ़ती कीमतों के प्रभाव से तबाह होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का हालिया निर्णय बेहद घातक होगा और यह कन्वेंशन सरकार को ऐसा निर्णय लेने के खिलाफ चेताती है

यह कन्वेंशन मांग करती है कि सरकार निम्नलिखित तरीकों से खाद्य पदार्थों की मूल्य-वृद्धि-नियंत्रण के उपायों को लागू करे जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली किसी भी नीति के अनिवार्य हिस्से है;

(क) जन वितरण प्रणाली को मजबूत करना और राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से ऊपर की कीमतों पर आवंटन दुबारा करना, (ख) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध, (ग) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती, (घ) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में कालाबाजारी और

मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कठोर उपाय लागू करना।

खाद्य सुरक्षा संबंधी इस कन्वेंशन के तहत हम इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं

कि केन्द्र सरकार हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी विधेयक लाने में देरी कर रही है। उल्टे, मंत्री समूह द्वारा जिस मसौदे पर विचार किया जा रहा है, वह खाद्य सुरक्षा की जगह खाद्य असुरक्षाकी ओर ले जाने वाली है, क्योंकि वह मौजूदा आवंटन को कम करता है, पात्रता रखने वालों की संख्या में कटौती करता है और मौजूदा अंत्योदय प्रणाली को लगभग ध्वस्त कर देता है।

सबसे खराब बात तो यह है कि वर्तमान मसौदा लक्षित करने की प्रणाली को कानून का एक हिस्सा बनाकर जनता को गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और करीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के हिस्सों में बांटकर वास्तव में करीबी की अत्यधिक संदिग्ध परिभाषाओं के आधार पर गरीबों के विशाल हिस्सों को बाहर रखने को वैद्यता प्रदान करता है। इस मायने में वर्तमान मसौदा और खाद्य सुरक्षा का विचार जिसे यह प्रस्तुत करता है एक प्रतिगामी कदम होगा और अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे भारी नुकसान होगा बनिस्पद इसके कि कोई कानून ही न हो।

यह कन्वेंशन

गरीबी के आकलन और परिभाषाओं के नाम पर चलने वाली निचले दर्जे की राजनीति की ओर कितने परिवार शामिल किए जाएं, कितने निकाल बाहर किए जाएं, इसके लिए चलने वाली जोड़-तोड़ की निंदा करता है। यह जोड़-तोड़ देख कर ऐसा गलता है कि सवाल करोड़ों लोगों जिंदगी और भविष्य का नहीं बल्कि बाजार में उपभोक्ता वस्तु की कीमत का है। मुद्दा ये नहीं है कि इस या उस नेता को खुश करने के लिए "कम से कम कुछ और लोग बी.पी.एल. में शामिल कर लिए जाएं" या नहीं बल्कि मुद्दा मोजूदा कार्यवाही के पूरी तरह से अवैज्ञानिक तौर-तरीके का है। यह सरकारी तौर पर गठित तीन कमेटियों के खासे अलग-अलग गरीबी आकलनों में भी दिखलाई पड़ता है। कोई कुल आबादी के 77 फीसदी को, तो कोई 50 फीसद को और कोई 37.5 फीसद (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) को गरीब मानता है।

एक ऐसे देश में जहां जनता की जबर्दस्त बहुसंख्या बिना निर्धारित आमदनी और कीमत वृद्धि के खिलाफ बिना किसी सुरक्षा के असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जब असंगठित क्षेत्र में संबंधित सरकार के अपने आयोग का आकलन है कि 77 फीसद आबादी प्रतिदिन बीस रुपये से कम पर गुजारा करती है, कहने की जरूरत नहीं कि निर्धारित कम कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की गारंटी करने वाली सार्वभौम जन वितरण प्रणाली कितनी जरूरी है।

यह कन्वेंशन इस बात पर बल देती है

कि सिर्फ एक सार्वभौम जन वितरण प्रणाली ही कम से कम न्यूनतम खाद्य सुरक्षा की गारंटी कर सकती है जिसका मतलब है मौजूदा लक्षित वितरण प्रणाली को खारिज करना और भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मामलों में ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. के बंटवारे को खारिज करना।

यह कन्वेंशन मांग करती है

कि सरकार निम्नलिखित न्यूनतम विशेषताओं के साथ संसद के आगामी सत्र में एक संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक लाए:

1. यह एक सार्वभौम अधिकार होना चाहिये।
2. इसके तहत हर एकल परिवार को कम से कम 35 किलो खाद्यान्न की गारंटी होनी चाहिए।
3. खाद्यान्न की कीमत दो रुपये प्रति किलो स्थिर की जानी चाहिए। इसमें मोटा अनाज शामिल होना चाहिए जो कि भारत के कई हिस्सों में मुख्य आहार है और अत्यंत पौष्टिक है।
4. इसमें मिड-डे मील और आई.सी.डी.एस. के लिए आवंटन की कानूनी गारंटी के जरिए स्कूल से पहले और स्कूल जाते बच्चों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान होना चाहिए।
5. इसे नियंत्रित कीमतों पर अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को भी शामिल करने का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि कई राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाया जा रहा हे।

यह कन्वेंशन

खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में किसानों की अहम भूमिका को मान्यता देती है। यह इस बात पर बल देती है कि भूमि सुधार और भूमिहीनों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण, साथ ही उस भूमि का विकास करने के लिए यथोचित आवंटन, खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा सहारा होगा, साथ ही, करोड़ों भूमिहीनों को अपनी जीविका के साधन में इजाफा करने में मदद करेगा और इस प्रसंग में यह कन्वेंशन केन्द्र सरकार के एजेंडे पर भूमि सुधार की पूर्ण अनुपस्थिति की निंदा करती है।

कृषि के क्षेत्र में निम्न वृद्धि दर सरकार द्वारा कृषि के विकास तथा किसान समुदाय के अधिकारों एवं कल्याण को प्राथमिकता न दिये जाने का नतीजा है। यह कन्वेंशन मांग करती है कि किसानों के लिए बजली, सिंचाई सुविधाओं, विस्तार सेवाओं के लिए ग्रामीण अधिसंरचना के निर्माण में होने वाले खर्च में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की जाए।

खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार का उदासीन रवैया निर्यात के मकसद से नकदी फसलों को बढ़ावा देने की उसकी नीति में भी दिखलाई पड़ता है। बड़ी संख्या में होने वाली खुदकुशियों में भारतीय किसान की जो घोर बदहाली का मंजर सामने आया है, उससे निपटने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले किसान आयोग ने अत्यंत बहुमूल्य और किसान-पक्षधर सिफारिशें की हैं, साथी ही साथ आत्मनिर्भर को सुनिश्चित करने वाली सिफारिशें भी की है। लेकिन सरकार ने उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया है।

रासायनिक खाद सब्सिडी में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कटौती सरकार की लापरवाही को दिखलाती है। बीज–उपलब्धता में मौजूदा संकट, बीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, बड़े बीज निगमों द्वारा इजारेदारी कायम किया जाना, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ती लागत – इनके चलते हमारे देश के किसानों के एक बड़े हिस्स के लिए खेती फायदे का सौदा नहीं रही। ध्यान रहे कि इन किसानों में से 70 फीसदी छोटे या सामंत किसान हैं। यह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है कि भारत एक बार फिर खाद्यान्न के बड़े आयात पर निर्भर हो जायेगा और शक्तिशाली खाद्य नैगमों के हाथ में खेलेगा।

यह कन्वेंशन ऐसी किसान–पक्षधर नीतियों की मांग करती है जो लागत सामग्री का नियंत्रित कीमतों पर मिलना उगाही केन्द्रों के एक मजबूत संजाल का होना, खाद्यान्न और दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित करेगी। यह कन्वेंशन उन आदिवासी किसानों के लिए, जिनमें से अधिकांश सबसे अनुर्वर जमीन पर काम करते हैं, विशेष पैकेज की मांग करती है जिससे सूखी तथा असिंचित भूमि में आसानी से पैदा होने वाले मोटे अनाज के उत्पादन को उचित कीमत पर उगाही के जरिये बढ़ावा मिले।

यह कन्वेंशन केन्द्र सरकार की उन नीतियों को वापस करवाने का संघर्ष तेज करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके कारण जनता की बदहाली, कीमत–वृद्धि और खाद्य असुरक्षा उठान पर हैं और यह सार्वभौम जन वितरण प्रणाली पर आधारित प्रभाविकारी खाद्य सुरक्षा विधेयक के लिए संघर्ष तेज करने का प्रस्ताव रखती हे।

यह कन्वेंशन 5 जुलाई के भारत बंद को सफल बनाने के लिए जनता के सभी हिस्सों को लामबंद करने का आह्वान करती है।

यह कन्वेंशन पूरे अगस्त के महीने में एक लंबा अभियान और संघर्ष चलाने का आह्वान करती है। जनता तक संदेश ले जाने के लिए यह अभियान गांव और ब्लॉक स्तर से तथा शहरों में मोहल्ला स्तर से आरंभ होगा। इन अभियानों में धरना, पदयात्रा, जीप जत्था, जुलूस, प्रभातफेरी, प्रदर्शन और घेराव जैसी गतिविधियां हो सकती हैं और यह स्थानीय तथा राज्य स्तर पर तय होगा।

यह कन्वेंशन जनता उनके खाद्य सुरक्षा और अधिकारों और कीमत वृद्धि पर नियंत्रण के प्रति जागरूक बनाने के लिए जनता के बीच जाने का आह्वान करती है।

सरकारी नीतियों को बदला!

पेट्रोल, डीजल, रसाई गैस और केरोसिन के बढ़ाये दामों को वापस लो! कीमतों में बढ़ोतरी कर जनता को लूटना बंद करो! लक्षित प्रणाली बंद करो! ए.पी.एल. के नाम गरीबों को जनवितरण प्रणाली निकाल बाहर करना बंद करो! एक सार्वभौम जन वितरण प्रणाली कायम करो! गोदामों से अनाज बाहर निकालो! जनता का पेट भरो, चूहों का नहीं

7 सिंतबर को ट्रेड यूनियनों का राष्ट्र व्यापि हड़ताल

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और मजदूरों तथा कर्मचारियों की फेडरेशनों टीयूसीसी, बीएमएस, इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी तथा एलपीएफ ने गत 15 जुलाई को नयी दिल्ली में मजदूरों की दूसरी अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन किया और निम्नलिखित घोषणायें की:

महँगाई पर, विशेषकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा कीमतों पर रोक लगाने की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की मांग के बावजूद खाद्य कीमतें बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुँच गया तथा मुद्रास्फीति बढ़कर दो अंकों पर पहुँच गया, इसके अलावा सरकार मेहनतकश आवाम की भारी तकलीफों को कम करने के मामले में पूरी तरह उदासीन बनी हुयी है।

श्रम कानूनों तथा ट्रेड यूनियन अधिकारी के निर्बाध उल्लंघन पर ट्रेड यूनियनों द्वारा गहन चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद स्थिति हर दिन गंभीर तथा दमनकारी बनती जा रही है। बेरोजगारी, अर्द्ध रोजगार, असहनीय जीवन स्थिति, बढ़ते काम से घंटों, अंधाधुंध ठेकेदारी व्यवस्था, अस्थायीकरण तथा छंटनी के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के विरोध के जावजूद श्रमिकों का हाल बेहाल होता जा रहा है तथा अमानवीय शोषण रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मुनाफादेह सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद कोल इण्डिया लिमिटेड, बीएसएनएल, सेल, एनएलसी, हिन्दुस्तान कॉपर, एनडीएमसी आदि में नविनतम विनिवेश को लागू किया जा रहा है और अंधाधुँध विनिवेश की हानिकर नीति बेरोकटोक जारी है। ट्रेड यूनियनों के मांग के बावजूद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बिना किसी पाबंदी के सार्वभौम सर्वसमावेशी समाजिक सुरक्षा कवरेश की खातिर एक भारी कल्याण फण्ड की स्थापना की जाए, फण्ड आवंटन मामूली बना हुआ है और प्रतिबंधात्मक प्रावधान जारी है।

कन्वेंशन चिंता के साथ यह नोट करती है कि न सिर्फ ट्रेड यूनियनों के विरोधी की अनदेखी की जा रही है बल्कि उस नीति को भी जोर–शोर से लागू किया जा रहा है जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं। इनमें ताजातरीन है पेट्रोलियम की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, जिसके कारण मिट्टी के तेल, रसोई गैस, डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है।

कन्वेंशन में सर्वसम्मति से सूत्रवद्ध मांगों को फिर दोहराया गया। मजदूरों की यह राष्ट्रीय कन्वेंशन अपने संवैधानिक तथा जनतांत्रित अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने जायज विरोध को बढ़ाना चाहती है और उन पूरी गलत नीतियों, जो मेहनतकश अवाम और पूरे समाज के हितों को ही खतरनाक ढंग से नुकसान पहुँचा रही हैं, तुरन्त सुधार करने और मेहनतकश अवाम के बढ़ते रोष की भावना को निकलने का रास्ता देने का आह्वान करती है।

इसलिये यह कन्वेंशन 7 सितंबर 2010 को अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए आह्वान करने का संकल्प लेती है।

टी.यू.सी.सी. की कोलकाता में बैठक

टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी की बैठक कोलकाता में 4 जुलाई 2010 को आईसीमार्ड में संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर ने की।

मजदूरों और आम आदमी के मुद्दें पर बढ़ती महँगाई, सरकार की जन विरोधी नीतियों, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी तथा इस पर आया फैसला तथा असंगठित मजदूरों के मुद्दें पर बैठक में गहन चर्चा की गयी।

इसके अलावा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि टी.यू.सी.सी. की एन.पी.सी.ई.एफ. जन प्रदर्शन का आयोजन कोल इण्डिया लिमिटेड, के समक्ष कोलकाता में 23 अगस्त 2010 करेगा। जिसके सांगठनिक सभा का आयोजन 17 जुलाई को झारखण्ड के मथन और पश्चिम बंगाल के सैंक्टोरिया में आयोजित किया गया। जिसमें साथी एस.पी. तिवारी और साथी सरल देव भी उपस्थित थे। इसके अलावा इन बैठकों में एन.पी.सी.ई.एफ. की राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा हुई।

प्रत्येक आम आदमी और मजदूरों की मांगों के समर्थन में जिला स्तरीय आन्दोलन एवं धरने का आयोजन 10 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जायेगा। 15 से 30 अगस्त तक सभी राज्य की राजधानियों में धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

15 जुलाई को नयी दिल्ली में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और मजदूरों तथा कर्मचारियों की फेडरेशनों टीयूसीसी, बीएमएस, इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी तथा एलपीएफ आदि के कन्वेंशन के निर्णयानुसार टी.यू.सी.सी. ट्रेड यूनियनों द्वारा 7 सितंबर के राष्ट्र व्यापि हड़ताल के लिये सभी को शामिल होने के लिये आह्वान करेगी।

यूथ लीग की त्रिपुरा राज्य कमिटी ने किया धरना व प्रदर्शन

ऑल इण्डिया यूथ लीग की त्रिपुरा राज्य कमिटी ने पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस आदि की कीमतों मे बेतहाशा वृद्धि के विरोध में अगरतला के मुख्य डाकघर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार के जनविरोधी रवैये के प्रति रोष व्यक्त किया। सरकार की विफलता और बहरेपन को सचेत करते हुए नारे लगाये गये। एकत्रित जनसमुदाय को त्रिपुरा राज्य यूथ लीग महासचिव साथी विश्वनाथ साहा, सदर विभागीय कमिटी महासचिव साथी सिद्धार्थ सरकार, टी.यू.सी.सी. त्रिपुरा राज्य कमिटी साथी विजय कृष्ण आर्य, किसान सभा महासचिव साथी जीवन कृष्ण मजूमदार, महिला समिति महासचिव साथी माया साहा आदि ने संबोधित किया।

इसके पश्चात् साथी विश्वनाथ साहा की अगुवाई में अपनी 9 सूत्री मांगों का विज्ञापन, जो की भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित था, मुख्य डाकपाल को सौंपा।

फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड राज्य कमिटी की बैठक

फारवर्ड ब्लॉक की झारखण्ड राज्य कमिटी की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2010 को हीरापुर धनबाद में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता साथी अपर्णासेनगुप्ता ने की। बैठक में वर्ग संगठनों की सदस्यता, पार्टी की सदस्यता, संगठनात्मक चुनाव की तैयारी एवं नेताजी के जन्मदिन को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित कराने के लिसे राजभवन मार्च की तैयारी पर चर्चा की गयी। बैठक में साथी जनार्दन पाण्डेय, साथी मोफिज साहिल, साथी प्रदीप गोप, साथ रामेश्वर कुशवाहा आदि सम्मिलित थे।

किसान नेता स्व० फुलकू पाण्डेय की 10वीं पुण्यतिथि मनाई

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक एवं फुलकू सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं अग्रणी किसान नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अनुयायी, भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी, पथरा पंचायत के स्थापना काल 1952 से आजीवन मुखिया स्व० फुलकू पाण्डेय की 11वीं पुण्यतिथि 9 जुलाई 2010 को फुलकू पाण्डेय सद्भावना उधान लखनगड़िया के परिसर में मनायी गयी। उपस्थित जनसमूदाय ने परिसर स्थित स्व० फुलकू पाण्डेय की समाधि पर माल्यार्पण किया एवं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया।

फारवर्ड ब्लॉक का भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में आन्दोलन

शिवहर: शिवहर जिला में बागमती तटबंध पर निजी कंपनी द्वारा अनियमित एवं गलत तरीके से बालू एवं रेत के बाँध बनाये जाने के विरोध में फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने साथी धर्मेन्द्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में कार्य स्थल के नजदीक धरना प्रदर्शन किया एवं भूख हड़ताल करके कार्य रूकवा दिया। साथी धमेन्द्र कुमार एडवोकेट ने कहा कि बाँध पर तटबंध कार्य के लिये सरकारी नियमों की परवाह न करके बाँध के किनारे से ही बालू एकत्रित कर रही है और रेत तथा बालू से बना कोई तटबंध कितना सुरक्षित है सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह स्थानियों निवासियों के जीवन के साथ एक छलावा है। इसके प्रति प्रशासनिक कार्यवाही के लिये फारवर्ड ब्लॉक कार्यकर्ता कार्यस्थल पर ही धरने पर बैठे हुये है। साथी राघवेन्द्र ने बताया कि फारवर्ड ब्लॉक कार्यकर्ताओं को निजी ठेकेदार धमका रहे है, इसके बावजूद कार्यकर्ता डटे हुये है।

मुजफ्फरपुर : नरेगा की विसंगतियों के विरोध में फारवर्ड ब्लॉक के हजारों कार्यकर्ताओं ने बन्द्रा प्रखण्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिसकी अगुवाई प्रखण्ड सचिव साथी मंसूर आलम, साथी राम दयाल राम, साथी राकेश सिंह, साथी हबीब अंसारी, साथी नन्द किशोर आदि ने किया।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक केन्द्रीय कमिटी की सभा : 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आन्दोलन की घोषणा

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की सभा 2, 3 और 4 जुलाई 2010 को कोलकाता में संपन्न हुई। सभा में साथी प्रो. अमर सिंह कुशवाहा की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दिवंगत आत्मा के लिये 2 मिनट का मौन रखा गया।

सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये:

बुनियादी कार्य :

(क) 'नेताजी के सपनों का भारत का पुनर्निर्माण, नेताजी का भारत एक समाजवादी भारत' का प्रचार।

(ख) नेताजी का जन्म दिन 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाये और एक्शन टेकन रिपोर्ट खारिज किया जाये तथा मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की जाये, के लिये अभियान तेज करना।

(ग) अँग्रेजी के सी–4 (4ब्े पण्मण्ए बवततनचजपवदए बतपउपदंसप्रंजपवदए बवउउनदंसपेउ ंदक बेंजमपेउ)ए भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, साम्प्रदायवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष।

(घ) नव–साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष।

(ङ) जमीन जोतने वाले को।

(च) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगूल से जल–जंगल–जमीन की रक्षा करना।

मांगें

(1) कृषि, कुटिर उद्योग और लघु उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश रोकों।

(2) कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य।

(3) किसानों को 4 प्रतिशत की दर से सरल संस्थागत ऋण।

(4) कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार पर रोक लगाई जाये।

(5) कृषि मजदूरों के लिये केन्द्रीय कानून।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाये।

(7) परियोजनाओं के पूर्व जनता/ग्राम सभा से विचार विमर्श किया जाये।

(8) विस्थापितों के लिये पुनर्वास किया जाये तथा व्यापक पुनर्वास कानून बनाया जाए।

(9) खनन क्षेत्रों का निजीकरण नहीं होना चाहिये, निजीकरण और आउट सोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा बंद करो।

(10) 14 वर्ष की आयु तक सबको उत्तम और नि:शुल्क शिक्षा दिया जाये।
शिक्षा का व्यवसायिकरण और निजीकरण बंद करो।

(11) स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रों में अनिवार्य हो।
सबको स्वास्थ्य – सबको शिक्षा का अधिकार।

(12) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 200 दिन तक मनरेगा के तहत सभी को रोजगार।

(13) महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण बिल उसके मूल स्वरूप के साथ तुरन्त पास किया जाये।

(14) रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट (मुस्लिमों से संबंधित) अमल में लाई जाये।

इन 14 सूत्री कार्यक्रमों के आधार एवं सरकार की विकास के नाम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, किसानों की समस्या आदि पर पार्टी राष्ट्र व्यापि आन्दोलन का आयोजन 9 अगस्त से 14 अगस्त तक करेगा और सरकार की जन विरोधी कार्यों के प्रति जन अभियान चलायेगा। कार्यक्रमों का आयोजन वर्गानुसार प्रत्येक दिन चलाया जायेगा। पार्टी के विभिन्न जन संगठन इन कार्यक्रमों को निम्न प्रकार आयोजित करेंगी।

9 अगस्त को किसान मुद्दों पर – किसान सभा द्वारा ; 10 अगस्त को कामगारों के मुद्दों पर – टी.यू.सी.सी. द्वारा ; 11 अगस्त को युवाओं की समस्या पर – यूथ लीग द्वारा ; 12 अगस्त को छात्रों की समस्या पर – स्टुडेन्ट्स ब्लॉक द्वारा ; 13 अगस्त 2010 को महिलाओं और शिक्षकों के मुद्दों पर – महिला समिति एवं शिक्षक समिति द्वारा ; 14 अगस्त को फारवर्ड ब्लॉक जन आन्दोलन का आयोजन करेगी ; एवं 15 अगस्त को सांस्कृतिक मुद्दों पर सांस्कृतिक समिति आन्दोलन करेगी।

जनहितों पर न्यायपालिका के दखलंदाजी रोकने के लिये जन कार्यक्रम :

केन्द्रीय कमिटी ने निर्णय है कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में न्यायालय की बढ़ती दखल अंदाजी के खिलाफ राष्ट्रव्यापि आन्दोलन किया जाये। भोपाल गैस त्रासदी का फैसला और केरल उच्च न्यायालय द्वारा सड़क किनारे जन सभा आयोजित करने पर रोक लगाना इसके नवीनतम उदाहरण है। सभी राज्य कमिटीयों से अनुरोध है कि इस अलोकतांत्रिक रवैये और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जन आंदोलन का आयोजन करें।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राज्य पर्यवेक्षक :

केन्द्रीय कमिटी ने प्रत्येक राज्य के लिये पर्यवेक्षक साथियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सचिव सदस्य	केन्द्रीय कमिटी सदस्य
1.	अण्डमान एवं निकोबार	साथी नरेन दे	
2.	आन्ध्र प्रदेश	साथी जी.आर. शिवशंकर	
3.	आसाम	साथी श्यामल रॉय	साथी भक्तिपद घोष
4.	बिहार	साथी हाफिज आलम सैरानी	
5.	दिल्ली	साथी जी. देवराजन	
6.	हरियाणा	साथी वी.पी. सैनी	
7.	जम्मु और कश्मीर	साथी जी. देवराजन	साथी (डॉ.) मुर्तजा हुसैन
8.	झारखण्ड	साथी बीर सिंह महतो	
9.	कर्नाटक	साथी डॉ. बरूण मुखर्जी	
10.	केरल	साथी नरेन दे	
11.	मध्य प्रदेश	साथी बीर सिंह महतो	साथी एस.पी. तिवारी
12.	महाराष्ट्र	साथी सुब्रत बोस	साथी (डॉ.) मुर्तजा हुसैन
13.	मणिपुर	साथी श्यामल रॉय	साथी भक्तिपद घोष
14.	नागालैण्ड	साथी श्यामल रॉय	साथी भक्तिपद घोष
15.	उड़ीसा	साथी (डॉ.) बरूण मुखर्जी	
16.	पुदुचैरी	साथी पी.वी. कादिरवन	
17.	पंजाब	साथी जी. देवराजन	
18.	राजस्थान	साथी बीर सिंह महतो	साथी एस.पी. तिवारी
19.	तमिलनाडु	साथी नरेन दे	साथी यु. मुथु
20.	त्रिपुरा	साथी डॉ. बरूण मुखर्जी	
21	उत्तर प्रदेश	साथी जनार्दन पाण्डेय	साथी जिवन साहा, साथी नरहरि महतो
22.	उत्तराखण्ड	साथी जी. देवराजन	
23	पश्चिम बंगाल	साथी देवब्रत बिश्वास	

श्रीनगर में मानवाधिकार पर कन्वेंशनः

घाटी में लगातार मानवाधिकारों के हनन पर पार्टी की केन्द्रीय कमिटी जम्मू और कश्मीर कमिटी के साथ संयुक्त रूप से जन सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में करेगी। फर्जी मुठभेड़ों और बाहरी उपद्रवियों का उत्पात राज्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राज्य पुलिस और मिलिट्री आज जनता को बिना किसी कसूर के निशाना बना रहे हैं। हमारे संविधान में वर्णित मानव अधिकारों और उससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित अधिकारों को उजागर करने के लिये, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी ने सम्मेलन का करने का निर्णय लिया है। सम्मेलन की तिथि और स्थान अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक की जम्मू-कश्मीर इकाई के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तय किया जायेगा।

देश प्रेम दिवस :

पार्टी ने निर्णय लिया है कि नेताजी जन्मदिवस को 'देश प्रेम दिवस' की घोषणा हेतु केन्द्र सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाने के लिये आन्दोलन तेज किये जायेंगे। सिटीजन कन्वेंशन, धरना व राज्यपाल के समक्ष धरना की सफलता के पश्चात्, इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा के लिये कांग्रेस (आई) को छोड़कर देश की अन्य क्षेत्रीय, राज्य आधारित व राष्ट्रीय पार्टियों से इस संबंध में समर्थन की मांग करेगी। पार्टीयों के विधायकों के समक्ष इस प्रस्ताव का मसौदा इस परिपत्र के साथ संलग्न है। 'देश प्रेम दिवस' आन्दोलन की समीक्षा के लिये 5 सदस्यों की एक कमिटी का गठन किया गया। कमिटी इस प्रकार है - साथी सुब्रत बोस (संयोजक), साथी (डॉ.) बरूण मुखर्जी, सांसद, साथी जी.आर. शिवशंकर, साथी वी.पी. सैनी और साथी जनार्दन पाण्डेय। सभी राज्य कमिटियों से अनुरोध है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यापक रूप से आन्दोलन करें एवं सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करें।

सुभाष स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स : नियमित पार्टी स्कूल

सुभाष स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का पहला स्कूल श्याम नगर, जिला उत्तर 24 परगना, कोलकता में आरम्भ किया गया। साथी अशोक घोष ने स्कूल का उद्घाटन किया। झण्डारोहण किया गया साथ ही साथी शहीदों की वेदी पर फूल अर्पित किये गये। तीन दिवसीय पॉलिटिक्स स्कूल का आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। जिसमें साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, साथी देवब्रत बिश्वास, साथी अशोक मुखोपाध्याय, साथी सरल देब ने विभिन्न विषयों पर क्लास लिया तथा साथी हाफीज आलम सैरानी और साथी हरिपद बिश्वास ने उपस्थित सदस्यों को प्रमाण-पत्र सौंपे।

संप्रग - द्वितीय का प्रथम वर्ष का समापन - पूँजीवादोन्मुख एवं जनविरोधी नीतियों की छाप

संप्रग-2 सरकार ने 1 जून 2010 को पहली वर्षगांठ मनाते हुये अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि खाद्य समस्या सरकार के एक बहुत बड़ी चुनौती हो गयी है, जो बड़ी ही नम्रता से कीमतों की बढ़ोतरी को इंगित कर कर गयें। खाद्य स्फिति की दर मई 2010 के अन्तिम सप्ताह तक तेजी से बढ़ते हुये 16.49 प्रतिशत तक पहुँच गया। मनमोहन सिंह ने संप्रग-2 की रिपोर्ट कार्ड में सरकार को सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को मजबूत करने के लिये आवश्यकतानुसार राकोषिय घाटे को कम करने की बात कही। लेकिन वास्तविकता बहुत ही गंभीर है। राजकोषिय घाटा वर्ष 2009-20010 में 25 प्रतिशत घटते हुये 4,12,307 करोड़ (भारत की सकल घरेलु उत्पाद के 6.6 प्रतिशत के बराबर) की हो गयी जबकि यही घाटा पिछले वर्ष 2008-2009 के दौरान 3,30,114 करोड़ था।

आर्थिक मोर्चे के अलावा, संप्रग-2 नक्सवाद व आतंकवाद की समस्या की चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है। दुर्भाग्यवश, इस समस्या को नजरअंदाज करते हुये बस उन्होंने यह कह दिया कि "अत्यंत चरमपंथी वाम समस्या के विभिन्न मुद्दों को राज्य सरकारों को निपटाना चाहिये"। केन्द्र सरकार उनके 'प्रशिक्षण और खुफिया' तंत्र के लिये कई तरह से सहयता कर रही है। ऐसा सब अपने सहयोगी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने के लिये कर रही है, सरकार ने बदहाल रेलवे सुरक्षा और रेलवे की बिगड़ती दुर्दशा, 2-जी स्पेक्ट्रम में फैले भ्रष्टाचार, कृषि क्षेत्र की दयनीय स्थिति आदि सभी को नजरअंदाज कर दिया। अतः रिपोर्ट अपने वास्तविक मार्ग से भटक गया है, यह केवल महँगाई को रोकने में विफलता, माओवाद की समस्या से निपटने में विफलता, भ्रष्ट और लापरवाह मंत्रियों को बचाने के प्रयास आदि को छुपाने का प्रचार मात्र है।

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय की सरकार कम से कम इस बात से वह बहुत खुश है कि उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वामदलों के समर्थन की जरूरत नहीं है। इस आश्वस्त परिस्थिति को बेहद फायदेमंद मानते हुए वे अपने पुराने आर्थिक सुधारों के रास्ते पर चल रहे हैं, जिन पर अपने संप्रग प्रथम के शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चल पा रहे थे। संप्रग-द्वितीय के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में यह देखा गया कि सरकार नवउदारवादी नीतियों को बड़े जोर-शोर से चलाना चाहती है, जिसकी मदद से कारपोरेट घरानों को बहुत फायदा हो रहा है, जबकि गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने बजट के माध्यम से कारपोरेट घरानों को 80,000 करोड़ रुपयों की कर राहत उपहार स्वरूप दे चुकी हैं। परन्तु सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिये आवश्यक आर्थिक सहयोग

नहीं दे रही हैं। एक आकलन के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून को पाँच वर्षों तक चलाने के लिये 1.71 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार लगातार राज्यों को लेकर अपना राग अलाप रही हैं जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिये सहयोग राशि का अनुपात 55:45 की बात करती है, जबकि अधिकांश राज्य इस संदर्भ में आवश्यक राशि जुटा पाने में अपनी असमर्थता पहले ही व्यक्त कर चुके है। यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय सराकर शिक्षा के अधिकार कानून का ढिंढोरा पीट कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती है और इस कानून के सही मायने में लागू कराने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल के समापन में संप्रग द्वितीय सरकार ने संप्रग प्रथम के कार्यकाल के अधूरे पड़े कार्यक्रमों को पुन: शुरू किया। सरकार ने अपना ज्यादा ध्यान लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों जैसे – सैल, ऑयल इण्डिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी आदि की विनिवेश आदि पर लगाया। सरकार ने वर्तमान वर्ष में 25000 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य बनाया। अंतत: यह रास्ता इन उपक्रमों में निजी क्षेत्रों को बढ़ाकर गैर-राष्ट्रीयकरण का मार्ग खोलता है और निजीक्षेत्र को प्रोत्साहन देता है। संप्रग सरकार की पूँजीवादोन्मुख आर्थिक नीति से आम आदमी का अहित हो रहा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सरकार ने पीपीपी (प्राईवेट-पब्लिक पार्टनरशिप) मॉडल का प्रारम्भ रेलवे सहित कई बड़े क्षेत्रों में करने का कार्य जोर-शोर से किया है। इस तरह वे सार्वजनिक उपक्रमों को नष्ट कर देंगे।

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय सरकार महँगाई रोकने में बुरी तरह विफल तो रही है, साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुख्य लक्ष्य को भी कमजोर कर दिया। वामदलों सहित अन्य पार्टियों के बार-बार विरोध करने के बाद भी सरकार लाभ कमाने वाले कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिये वायदा कारोबार, विशेषकर खाद्य अनाजों में, रोक नहीं लगा रही है। उर्वरकों के मूल्य वृद्धि और उर्वरकों में दी जाने वाली राहतों में कटौती एक साथ देखी जा रही है, जिससे गरीब किसानों को गहरा आघात लगा है, जिससे हजारों किसान कर्जे भारी बोझ से दबकर आत्महत्या करने को बाध्य हो गये। संप्रग-द्वितीय ने और आगे कदम बढ़ाते हुये अत्य उत्साह के साथ पेट्रोलियम-डीजल की कीमतें बढ़ाई और इस तरह मुद्रा स्फिति की दर को बढ़ाने में मदद की। कांग्रेस नीत संप्रग-द्वितीय के प्रथम वर्ष के समापन के अंतिम दिनों में यह देखा गया कि सरकार गैर-खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में जो केन्द्र सरकार के सहमति से प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ाकर के महँगाई की दर में इजाफा किया। सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य दोगुना से भी अधिक बढ़ाया, जो 4.20 प्रति मिलियन डॉलर ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया। गैर आधारित ऊर्जा के संयंत्र और सार्वजनिक यातायात और महँगे हो गये, जिससे अंतत: महँगाई में वृद्धि हुई। वास्तव में ऊँचे गैस मूल्य उद्योगों के लिये घातक प्रभाव देने वाले हैं। ऊर्जा की कीमतें, सीएनजी, पीएनजी और किसानों के उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसा कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय की जन-विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है।

कांग्रेस नीत संप्रग द्वितीय के प्रथम वर्ष के कार्यकाल से लाखों बेरोजगा युवकों को निराशा हुई हैं। निजीकरण और शिक्षा के व्यवसायिकरण इस एक वर्ष के कार्यकाल में कटु अनुभव दे गये हैं। उच्च शिक्षा और गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम सुविधाभोगी वर्ग के लिये मायने रखते हैं। पारंपरिक भारतीय शिक्षा तंत्र को कांग्रेस नीत संप्रग सरकार से गहरा झटका लगा है, क्योंकि इसमें भारतीय धरती पर विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का रास्ता सहज कर दिया। यह सरकार आईपीएल के घोटालों और अवैध खनन के आवंटन में 2-जी स्पेक्ट्रम के संदर्भ में विफल रही हैं। 3-जी स्पेक्ट्रम और 2-जी स्पेक्ट्रम की कीमतों में भारी अंतर स्पष्ट रूप से संचार मंत्री ए. राजा के भ्रष्ट तरीकों की तरफ इशारा करते हैं। परन्तु प्रधानमंत्री अपने सहयोगी घटक दल के हितों की रक्षा कर अपनी सुरक्षा में सफाई देते हुये देखे जा रहे हैं। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार माओवादी आतंक से निपटने के मुद्दे पर असफल रही हैं जो एक गम्भीर विषय है। माओवादी हिंसा से प्रभावित सभी राज्यों को विश्वास में लेकर एक विशाल रणनीति बनाने में सरकार विफल रही हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री महोदय अपने एक अन्य सहयोगी पश्चिम बंगाल के घटक दल जो सार्वजनिक रूप से सरकारी नीतियों की आलोचना करता है, के प्रकरण में आश्चर्यजनक रूप से मौन साधे रह गये। संप्रग द्वितीय सरकार ने अपने गठबंधन को सुरक्षित रखने में कई अवांछनीय और अलोकतांत्रिक समझौते किये है, जिससे देश के राष्ट्रीय हितों को आघात पहुँचा है।

भारत-अमेरिका नाभिकीय सौदे पर हस्ताक्षर के साथ अमेरिकी दबाव बढ़ने लगा और शर्मनाक तरीके से संप्रग सरकार ने भारत-अमेरिका नाभिकीय दायित्व विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में अधिकतम दायित्व 500 करोड़ तक उल्लिखित है जो दुर्घटना के बाद दिया जा सकेगा। विपक्षी दलों ने उपर्युक्त विधेयक का विरोध किया कि इस तरह संविधान में दिये गये नागरिक अधिकारों की खुली अवहेलना होगी।

शर्मनाक ढंग से संप्रग द्वितीय सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित करने में असफल रही, जबकि कृषि उत्पाद चौंकाने वाले नयूनतम स्तर पर है। यह सरकार महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में भी असफल रही है और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागू कराने में असफल रही हैं। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल विधेयक पास किया जिसमें बड़े कारपोरेट घरानों को पर्यावरण उल्लंघन मामलों में तीव्र और उनके अनुकूल निपटाने में सहायता मिलेगी। इस तरह अपने एक वर्ष के कार्यकाल में यह सरकार जन-विरोधी और पूँजीवादोन्मुख आर्थिक नीतियों को चलाने की छाप छोड़ गयी।

जब संप्रग-2 अपना एक वर्ष पूरा कर रहा है, तो सरकार पुरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में डूबी हुई है। नवीनतम रहस्योद्घाटन 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन का घोटाला भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी गणना के अनुसार, संचार मंत्री माननीय ए.राजा ने भाई-भतीजावाद के तहत राष्ट्रीय खजाने को बहुत बड़ी संख्या 1,90,000 करोड़ का नुकसान पहुँचाया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुये यह स्वीकार किया कि की 3जी स्पेक्ट्रम की तुलना में 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिये इसके मंत्री के खिलाफ न कोई शिकायत दर्ज हुई न ही कोई जाँच कराई गयी। अत:, प्रधानमंत्री को ऐसे भ्रष्ट मंत्री का पद छीन लेना चाहिये और 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन की जाँच के लिये संयुक्त संसदीय कमिटी बैठायी जानी चाहिये। आईपीएल क्रिकेट मैच के विवाद के कारण, जो शशी थरूर के इस्तीफे से इस यह मुद्दा भड़क उठा। इस अवधि के दौरान विदेश राज्य मंत्री का भी एक घोटाला हुआ। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दो केन्द्रीय मंत्री भी इस खेल में अन्दर तक शामिल है। संयुक्त संसदीय कमिटी की मांग पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। विभिन्न राज्यों में मनरेगा कार्यान्वयन में हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार ने अपराधी की तरह चुप्पी साध रखी है और रिलायन्स ग्रुप के अंबानी बंधुओं को तेल और गैस के साथ प्राकृतिक संसाधनों की लूट की पूरी छूट दे रखी है।

कांग्रेस (आई) नेतृत्व की संप्रग सरकार का प्रथम वर्ष का कार्यकाल यह प्रदर्शित करता है कि एक बार फिर से घरेलु कारपोरेट और विदेशी कारपोरेट घरानों के फायदे के लिये नव-उदारवाद आर्थिक नीतियों पर कार्य कर रही है। जब वामपंथी पार्टियां सरकार को बाहर से समर्थन से बनी संप्रग-1 में बनी जनहित नीतियों जैसे महिला आरक्षण विधेयक, जंगल अधिकार कानून 2006, विस्थापित के आवास हेतु पैकेजों की घोषणा और मनरेगा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत मजदूरी आदि पर संप्रग-2 सरकार ने इनके क्रियान्वयन पर चुप्पी बना रखी है। संप्रग-2 सरकार राज्य सरकारों के बिना सलाह मशविरा किये हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला आदि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लूट की खुली छूट दे रही है। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि संप्रग-1 जो आम जनता के हित में न्यनतम साझा कार्यक्रम पर कार्य करती थी वहीं संप्रग-2 बिना किसी उद्देश्य के अमीरों, कारपोरेटरों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके साम्राज्यवादी आकाओं के लिये लिये कार्य कर रही है

संप्रग-2 धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतों को को राजनीतिक के जरिये रोकने में विफल रही है। साम्प्रदायिक ताकतें अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ा रहे हैं और वे धार्मिक दंगों का आयोजन कर रहे है। हिन्दु अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर पूजा का आयोजन करते हैं और इसका दोष मुस्लिमों पर लगा रहे हैं। अजमेर में बम धमाका और आलेगांव का दंगा इसका उदाहरण है। इस्लाम जेहादी संगठन भारत में खुलेआम कार्य कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सहायता से कार्य कर रहे हैं। ये सभी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की सीमाओं से कुशलता पूर्वक अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। इन सभी समूहों को बाहर से संबंध है तथा उन्हें बाहरी सहायता भी प्राप्त है। संप्रग-2 सरकार धर्म के नाम पर फैल रहे आतंकवाद की समस्या को निपटाने में पुरी तरह से असफल रही है।

विदेश नीति के मोर्चे पर संप्रग-2 अपने पुराने रवैये अमेरिकी साम्राज्यवाद के उपनिवेश की तरह प्रदर्शित कर रहा है। प्रस्तावित नागरिक परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक इसका नवीनतम उदाहरण है। और ऐसे समय में ही भारत ने कुछ साकारात्मक कार्य भी किया है जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना, भारत को सहयोग को मजबूत करने के लिये, ब्राजील - दक्षिण अफ्रिका - भारत सहयोग, ब्राजील - दक्षिण अफ्रिका - भारत - चीन एकता और ब्राजील - रूस - भारत - चीन सहयोग शामिल है। इन देशों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की वार्ता उत्साहजनक है।

इरान को अमेरिकी धौंस

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इरान की जमीन को इस्तेमाल करने और उस पर नाकेबंदी के लिये आसानी से प्रस्ताव पारित करा लिया तथा अन्य आश्रित देशों पर भी इसके लिये दबाव बनाया। इरान के परमाणु कार्यक्रम का प्रश्न को उठाते हुये, अमेरिका ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मानो वह परमाणु रहित देश है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ही एकमात्र देश जिसने में मानवता के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकि पर 1945 में किया था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश जो परमाणु हथियारों का निर्यात करता है और जो कभी एनपीटी और सीटीबीटी का समर्थन नहीं करता। अत: यह केवल व्यंग है कि अमेरिका इरान के परमाणु कार्यक्रम पर धौंस दिखा रहा है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का विचार है कि परमाणु हथियारों के अधिक से अधिक एकत्रिकरण और उसके आधुनिकीकरण किसी देश की मजबूती को दर्शाता बल्कि यह उस देश की कमजोरी और उसके भय के आचरण को प्रदर्शित करता है। अत: दुनिया को परमाणु हथियारों के रखने से बचना चाहिये और परमाणु का प्रयोग मानवता की भलाई के लिये किया जाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र कर परमाणु अप्रसार संगठनों को इस मुद्दे पर बिना किसी दबाव के तथा ईमानदरी के साथ संबंधित देश के साथ विचार विमर्श के साथ कार्य करना चाहिये। दुनिया के सभी लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें आगे आना चाहिये तथा अमेरिका का विकसित देशों पर धौंस दिखाने का विरोध करना चाहिये।

ब्रिटेन में गठबंधन सरकार

ब्रिटेन की लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया का 6 मई 2010 को संपन्न हुई। पूरे ब्रिटेन में 649 सीटों पर चुनाव हुआ। डेविड कैमरोन की कंजरवेटिव पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर और वोट प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी बनी। उन्हें 320 सीटें तथा 36.1 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ, जो पूर्ण बहुत से 12 सीटें कम रही। सत्ताधारी लेबर पार्टी जिसने लगातार दो बार शासन किया उसे मात्र 258 सीटें तथा 29 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जा पिछले चुनाव से 91 सीटें कम थी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 23 प्रतिशत वोट प्राप्त हुये लेकिन 57 सीटें जीत पाया। इस चुनाव में यह देखने योग्य है कि इस बार 35 प्रतिशत वोट लेबर पार्टी या कंजरवेटिव पार्टी के विरुद्ध में गये - जो 1918 के साधारण चुनाव के पश्चात् सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1974 के बाद से यह पहला मौका है, और विश्व में दूसरा, कि ब्रिटेन की संसद में त्रिशंकु सरकार बनी।

कंजरवेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तालमेल बनाया और सरकार का गठन किया। इस प्रकार से ब्रिटेन में गठबंधन सरकार का नया दौर आरम्भ हो गया।

दुनिया के लोकतांत्रिक देश इस नई सरकार के कामकाज को उत्सुकता से देख रहे है खासकर अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर नजरें गड़ायें हुये है, जो हमेशा ही उसका छोटा भागीदार और उसका आज्ञाकारी बनकर रहा है।

ग्रीस में संकट

ग्रीस में आर्थिक संकट से आम जनता का जीवन दिन प्रतिदिन दयनिय होती जा रही है। ग्रीस में यह स्थिति हाल में बेरोजगारी, मजदूरी में कटौती, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में कटौती की वजह से हुयी है। अत: उन्होंने अब सरकार और पूँजिपति ताकतों के खिलाफ हथियार उठा लिया हैं। ग्रीस की सामाजिक लोकतंत्र सरकार इस समस्या का बोझ कामगार लोगों पर डाल रही है।

पूँजीवादी व्यवस्था की नव-उदारवाद नीतियों के कारण होने वाले अपरिहार्य पतन का एक और नया उदाहरण है। अमेरिका की आर्थिक बाजार और बीमा कारपोरेट यूरोप के कई देशों में अपना कदम जमा चुके है। ग्रीस की भांति यूरोप के कई देश इस समस्या से ग्रसित हैं। आर्थिक संकट का लक्ष्ण स्पेन में दिख रहा है। अत: एक बार पुन: अपनी खूबियों को दर्शाने वाला पुँजीवाद का दावा चकनाचुर हो रहा हैं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ग्रीस तथा यूरोप की अन्य देशों की जनता के साथ उनके संघर्ष में अपना सहयोग व्यक्त करता है।

मानवता के खिलाफ इजरायल की बर्बरता

कई दौर की वार्ताओं और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बावजूद फिलिस्तिन पर इजरायल बर्बर सैन्य आक्रमण जारी है। 30 मई 2010 को विभिन्न देशों से 700 शांति कार्यकर्ताओं सहित मानवीय सहायता की सामग्री, जिनमें बच्चों के खाने व शिक्षा सामान भी थे, पानी के 6 जहाजों में लादकर गाजा फ्रीडम फ्लोटिला जा रहे थे, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र, गाजा बंदरगाह से 65 माइल दूर, पर बिना किसी उकसावे के ही इजरायल ने सैन्य हमला कर दिया। जिसमें एक दर्जन से भी ज्यादा लोग मारे गये और कई टन सामान बर्बाद हो गये। पूरा विश्व इजरायल के इस बर्बर रवैये से स्तब्ध हो गया।

अमेरिका और इजिप्ट की गुपचुप और खुलेतौर सहायता से इजरायल ने जून 2007 से ही गाजा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। इजरायल का कहना है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को डेविड कैम्प एकोर्ड और इजिप्ट समझौते के अनुसार खाली करवायेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही क्षेत्र अभी तक इजरायल के कब्जे में है। यह भी समाचार है कि गाजा की जनता के लिये किसी भी संगठन या व्यक्तिगत मानवीय सहायता को इजरायल इजाजत नहीं देगा।

जब पूरा विश्व इस घटना की निंदा कर रहा था और लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर आकर इसका विरोध कर रहे थे, भातर सरकार ने एक विज्ञप्ति दी, जिसमें बहुत ही संकुचित था और इस मानवीय बर्बरता के लिये एक शब्द तक नहीं दर्शाया। यह दोनों ही देश अमेरिका या इजरायल भारत को हथियारों की सप्लाई करते हैं, जिन्हें वह नाराज नहीं करना चाहता है। यह याद रखने की जरूरत है कि भारत और इजरायल का यह व्यापार 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक इजरायल के इस बर्बर रवैये की घोर निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि वह अंतराष्ट्रीय मंच का प्रयोग करते हुये फिलिस्तीन, जो अपने मातृभूमि के लिये लड़ रहे हैं, के प्रति इस प्रकार अमानवीय आचरण को रोकने का बात उठाये।

श्रीलंकन तमिलों का पुनर्वास

श्रीलंका में तमिल जनता के उचित पुनर्वास का मुद्दा श्रीलंका में बनी नई सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती है। लिट्टे के हार के बाद और दो-तिहाई बहुत से पुन: सत्ता में आयी राजपक्षे की सरकार से तमिल अपने पुनर्वास और अधिकार के लिये श्रीलंकन सरकार की उसे उम्मीदें संजोये हुये है। तमिल जनता भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये सिंहाला के साथ सांमजस्य करने के लिये उत्सुकता दिखा रही है। लेकिन जबरदस्त जीत के बाद बनी राजपक्षे की सरकार विस्थापितों के पुनर्वास के लिये कोई उत्सुकता नहीं दिखा रही है। श्रीलंका में जातीय युद्ध के बाद वहाँ रह रहे तमिलों की हालत दयनीय है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और निंदा को आकर्षित कर रही है। तमिलों के आवास के लिये जो कैम्प और कॉलोनियां बनी हुई है से प्रतिदिन जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसमें मानव अधिकारों की अवहेलना बढ़ती ही जा रही है।

तीन लाख से अधिक श्रीलंकन तमिल भारत में शरण लिये हुये है। भारत सरकार इन विस्थापितों को पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करा रही है। लेकिन यह शरणार्थी शिविर अस्थायी है। श्रीलंका में जातीय हिंसा समाप्त हो चुकी है। अत: श्रीलंका सरकार इन्हें वापिस बुलाने और इनके मूल स्थानों पर बसाने और पूरी सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया को तेज कर देना चाहिये। भारत सरकार श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास के लिये सभी राजनैतिक माध्यमों का प्रयोग करके श्रीलंका सरकार पर इनके उचित पुनर्वास की व्यवस्था के लिये दबाव बनाये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक आशा करती है कि राष्ट्रपति राजपक्षे की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात में इस दिशा में ठोस परिणाम आयेंगे।